

**उत्तराखण्ड वन विकास निगम
सूचना का अधिकार अधिनियम –2005**

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों (सबसिडी प्रोग्राम्स) के क्रियान्वयन की रीति एवं जिसमें आवंटित राशि
और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरा सम्मिलित है :-

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को ऐसा कोई कार्यक्रम आवंटित नहीं किया गया है जिसमें राज्य सरकार किसी कार्य के लिए अनुदान/ सबसिडी प्रदान करती हो। अतएव तत्सम्बन्धी विवरण रिक्त है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा एक सरकारी संस्था “औषधीय वनस्पति वन संस्था, उत्तराखण्ड” का गठन किया गया है जिसमें उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं वन विभाग के अधिकारी पदेन सदस्य है। इस संस्था द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में वनस्पति वन हेतु एक परियोजना प्रस्तुत की गयी थी जो केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस परियोजना में निम्न कार्य मुख्यतः कराये गये हैं :–

1. चक्राता वन प्रभाग में 02 औषधीय पादप क्षेत्रों की स्थापना (एम०पी०सी०ए०-१ मुण्डाली, एम०पी०सी०ए०-२ कोनैन एवं एम०पी०सी०ए०-३ देवबन)
2. उच्च क्षेत्रीय पौधशाला कौन्तालानी एवं निम्न क्षेत्रीय पौधशाला— मुनीकीरेता की स्थापना है। संस्था का मुख्यालय 73-नेहरू रोड़, देहरादून पर स्थापित है।
3. संस्था द्वारा हरबर्टपुर में एक रिसर्च प्लाट की स्थापना की गयी है जहाँ से स्थानीय कृषकों को निम्न क्षेत्रीय औषधीय पादपों की आपूर्ति की जायेगी।
4. औषधीय पादपों का सर्वधन कार्य।